संख्या-256/2025/90 के-2/22-3-2025-17(220)/2025

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 09 जुलाई, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अर्जुन दुबे पुत्र श्री श्यामता प्रसाद, निवासी जनपद-बलरामपुर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-1910/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-09.01.2025) दिनांक-15.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अर्जुन दुबे पुत्र श्री श्यामता प्रसाद, जो बल्दीडीह, थाना-महराजगंज, जनपद-बलरामपुर का निवासी है। सरिया बेच कर प्राप्त धनराशि को लूटने के उद्देश्य से दिनांक 19.03.2010 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर व्हीलपाना से मारकर मोइनउद्दीन नामक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा शव को सड़क किनारे फेंक दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-**383**/2010 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 201, 394, 411 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-03, कौशाम्बी के आदेश दिनांक 11.05.2015 द्वारा आजावीन कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 06.01.2025 तक बंदी की आयु 38 वर्ष 09 माह 15 दिन है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बलरामपुर द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल से रिहा किया जाना समाज हित में नहीं होने, बंदी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में सरिया बेच कर प्राप्त धनराशि को लूटने के उद्देश्य से दिनांक 19.03.2010 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर व्हीलपाना से मारकर मोइनउद्दीन नामक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा शव को सड़क किनारे फेंक दिये जाने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक् परीक्षण कर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी बंदी अर्जुन दुबे पुत्र श्री श्यामता प्रसाद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अर्जुन दुबे (बंदी संख्या-246/2017) पुत्र श्री श्यामता प्रसाद, निवासी जनपद-बलरामपुर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

<u>संलग्नकः यथोपरि।</u>

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

3- जिला मजिस्ट्रेट, बलरामपुर।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-256/2025/90 के-2/22-3-2025-17(220)/2025

दिनांक- 09 जुलाई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अर्जुन दुबे पुत्र श्री श्यामता प्रसाद, जो बल्दीडीह, थाना-महराजगंज, जनपद-बलरामपुर का निवासी है। सरिया बेच कर प्राप्त धनराशि को लूटने के उद्देश्य से दिनांक 19.03.2010 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर व्हीलपाना से मारकर मोइनउद्दीन नामक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा शव को सड़क किनारे फेंक दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-383/2010 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34, 201, 394, 411 में मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-03, कौशाम्बी के आदेश दिनांक 11.05.2015 द्वारा आजावीन कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 06.01.2025 तक बंदी की आयु 38 वर्ष 09 माह 15 दिन है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, बलरामपुर द्वारा बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने, जेल से रिहा किया जाना समाज हित में नहीं होने, बंदी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि प्रकरण में सरिया बेच कर प्राप्त धनराशि को लूटने के उद्देश्य से दिनांक 19.03.2010 को बन्दी ने अपने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर व्हीलपाना से मारकर मोइनउद्दीन नामक व्यक्ति की हत्या कर दी तथा शव को सड़क किनारे फेंक दिये जाने का जघन्य अपराध कारित किया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक् परीक्षण कर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी बंदी अर्जुन दुबे पुत्र श्री श्यामता प्रसाद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in